

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 14, 1972/चैत्र 25, 1894

No. 77] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 14, 1972/CHAITRA, 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th April 1972

SUBJECT.—*Grant of licences for import of raw materials and components to actual users in the small scale sector during April 1972—March 1973—items licensable on restricted basis.*

No. 54-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 47 of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1972—March 1973 wherein it has been laid down that the import of items shown as licensable to actual users on restricted basis will be allowed subject to the limits to be notified separately. It has been decided that, in respect of such items, import may be allowed subject to value limits or face value restrictions as indicated in the appendix to this Public Notice.

2. Where a restricted item appears in the licences, issued to an actual user for different modes of financing against the same application and the licensee intend to import that item against one of these licences only, the request for suitable amendments will be considered on merits. In such a case, the licensing authority may endorse one of the licences making it valid for the import of that item for the aggregate value for which it was permitted against all the licences, and simultaneously delete the said item from the remaining licence(s).

APPENDIX

Face value restrictions/ value limits in respect of items licensable on restricted basis

Sl. No. and Part of the ITC Schedule	Description of items	Percentage of face value restriction to the total value of the licence.
1	2	3
PART I		
16-A(ii)	Iron and steel and alloy steel rounds, rods, squares, Hexagons and sections in bright drawn, turned, ground and/or polished conditions.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 which ever is less.
17(i)	(i) Cast iron foot valves above 300 mm dia.	2½ % of the face value of the licence or Rs. 500 whichever is less.
	(ii) Other types of valves and cocks	Do.
17(ii)(a)	Boiler tubes and ERW (electric resistance welded) tubes.	10% of the face value of the licence or Rs. 5000 whichever is less.
17(ii)(c)	Line pipes and tubes of API specifications	Do.
17(ii)(d)	Seamless (alloy and carbon steel) pipes and tubes	Do.
17(e)	Welded steel pipes of the following sizes : Category Outside diameter Thickness E.R.W. tubes 8 mm to 80 mm 0.7 mm to 4 mm	5% of the face value of the licence or Rs. 250 whichever is less.
17(ii)(g)	Stainless steel pipes and tubes for manufacture of :— (i) Machinery required for pharmaceutical/chemical/dairy products. (ii) Textile processing machinery (iii) Electro-medical, surgical and medical instruments; and (iv) Electrical circuits breakers and switch gear; and (v) Air-conditioning and refrigeration equipment.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 which ever is less.
17(iv)(a)	Wrought Iron Steel pipe fittings, n.o.s. (Permissible items)	2½ % of the face value of licence or Rs. 500 whichever is less.
17(v)(b)	Other steel pipe fittings n.o.s. (permissible items)	
17(v)(a)	Cast iron and alloy iron pipes below 75 mm O.D.	2½ % of the face value of licence or Rs. 500 whichever is less.
29	Wite ropes for mines only	5 % of the face value of the licence.

1	2	3
36(c)	Boot & Show grindery, the following : (a) Auto soler wire (b) Iron or steel stapling wires galvanised or black (excluding machine staples) (c) Mild tacking wire. (d) Riand wire. (e) tacking wire. (f) Screwing wire. (g) Slugging wire. (h) Wire required for lasting of boots and shows. (i) Machine tacks.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
38(b)	Alloy iron castings for machine tools manufacturers for piece weight above 5 tonnes.	5% of the face value of the licence.
38-A(c)	Ship chains and Hoisting chains, viz., wrought iron and steel stud link chains for anchoring, hoisting etc., including welded link chains and all other types of link chains and parts thereof.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
39-A	Steel casting (unmachined) above 10 M.T. piece weight (in consultation with D.G.T.D.)	10% of the face value of the licence.
39-B	Alloy steel casting (unmachined) above 3 M.T. piece weight.	Do.
40	Unmachined steel forgings	5% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
41(ii)	(1) Copper pipes and tubes of following sizes : (a) Upto 100 mm O.D. having wall thickness thinner than 22 SWG. (b) Above 100 mm O.D. having wall thickness of 22 SWG and thicker. (2) High tensile and other special copper alloy pipes and tubes/sections (other than brass).	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less. 10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 which ever is less.
41(iii)	Items other than those covered by remarks (1) to 6 against this S No. in Section II of the Red Book (Vol. I) for 1972-73.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
42	Copper scrap whether ingotted or otherwise.	10% of the face value of the licence.
44(c)	Zinc granulations and dust	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
46(b)	Brass pipes and tubes of the following sizes :— (a) Upto 100 mm O.D. having wall thickness thinner than 22 SWG. (b) Above 100 mm O.D. hving wall thickness of 22 SWG and thicker.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
48(b)	Nickel and nickel base alloy rods/wires/electrodes	(i) 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less (for import of electrodes) (ii) 20% of the face value of the licence (for import of other items).
50	Monel Metal Unwrought and semi-manufacturers thereof like sheets/strips, rods, wires.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.

1	2	3
53(a)	Calcium Manganese silicon . . .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
57(c)	Coils springs of iron and steel for railways and tramways.	Import will be allowed in consultation with DGTD.
57(e)	Industrial metallic coil springs, flat and other formed springs including precision springs but excluding hair springs for watches/clocks, etc.	5% of the face value of licence or Rs. 5,000 whichever is less.
PART II		
7-A(b)	Asbestos based wire woven jointings, beater addition jointings, jointings required to withstand the action of strong acid/alkalies and jointings required to withstand refrigeration temperature.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less
7-A(c)	Asbestos based products for electrical insulation and products not otherwise specified (Permissible types).	Do.
7-B	Non-asbestos packing and boilers all sorts not otherwise specified.	Do.
7-C	Steam, pneumatic and hydraulic non-asbestos packing for all machinery.	Do.
8	Ready made boiler Non-asbestos packing .	Do.
9(a)	Machined Steel balls above 14.2875 (9/16") dia.	5% of the face value of the licence.
9(b)	Precision steel balls conforming to I.S. Grades 2, 1, 0 corresponding to AFBMA grades 5, 10, 15, and 25.	Do.
9(c)(i)	Grinding media steel balls of special types like hollow cast steel balls.	Do.
9(c)(ii)	Forged steel balls for manufacture of ball bearings.	10% of the face value of the licence.
9(d)(i)	Special purpose electrodes . . .	2½% of the face value of the licence.
9(g)	Roller/needle rollers other than banned types .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
9(l)	Iron powder for manufacture of welding electrodes.	5% of the face value of the licence.
11	(i) German Silver/Nickel Silver scrap . . .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(ii) German Silver/Nickel silver strips . . .	20% of the face value of the licence.
12	34 gauge and thinner gauge aluminium strips in coils required for making antibiotic vial caps (for drugs and pharmaceutical industry).	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
13	E.C. Grade aluminium . . .	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.

1	2	3
16(c)	Sintered parts/components of iron and bronze other than self-lubricating oilite bushes.	2 % of the face value of the licence or Rs. 1250 whichever is less.
17(a)(i) (a)	Zirconium Silicate and Zirconium opacifiers including zircon flour for Ceramic industry.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(b) Rutile for Ceramic and electric welding industry.	Do.
	(c) Cadmium	(i) 75% of the face value of the licence (for preparation of Cadmium salts). (ii) 10% of the face value of the licence (for other end-uses).
	(d) Cobalt	(i) 50% of the face value of the licence (for manufacture of Cobalt salts). (ii) 10% of the face value of the licence (for manufacture of other end-uses).
	(e) Bismuth	10% of the face value of the licence.
17(a)(ii)	Non-ferrous alloy electrodes and wires including stellite and other similar cobalt base hard facing alloys.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
17(a)(iii)	Non-ferrous electroplating anodes other than those of Cadmium for essential electroplating, to units possessing adequate electroplating equipment and engaged in actual manufacture of finished plated products.	Do.
17(b)	(i) Alloy pen-points	10% of the face value of the licence.
	(ii) Other special alloys including aluminium resistance alloys.	2 % of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
	(iii) Bi-metal strips of all varieties including ferrous and non-ferrous combinations for electrical and automobile industries.	10% of the face value of the licence.
	(iv) Clad-materials for special electrical and aeronautical purposes.	25% of the face value of the licence.
17(c) 1	Aluminium alloy tube/strip/wire/flats for manufacture of Zip/Snap fasteners, rivets, screws and pen caps only.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
20(1)(a) (b) & (c)	(1) Slitting Saws and slotting cutter of thickness below 1.6 mm	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
	(2) Diamond wire drawing dies	Do.
	(3) Taps and dies below 3 mm	Do.

1	2	3
	(4) Broaches	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
	(5) Gear hobs and special types of gear cutters	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
	(6) Stellite tips/tipped tools	Do.
20(2)(a)	(1) Circular saws inclusive of inserted blades types.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
21(1)	(1) Outside Micrometers of sizes over 150 mm and spares thereof.	Do.
	(2) Thread plug gauges and Ring gauges	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
	(3) Gauge Blocks (Slip gauges other than carbide tip slip gauges.)	Do.
24(b)	Grinding wheels and segments	Do.
24(c)	Nib slitting wheels for manufacture of fountain pens.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
25(d)	(1) Carborundum and synthetic aluminium oxide (other than brown variety) abrasive grains of 300 mesh and finer size.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
	(2) Brown synthetic aluminium oxide abrasive grains.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
28(4)	V. Belts other than those mentioned in Appendix 23.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
28(8)(b)	Steel conveyor belts for manufacture of safety razor blades.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
32(b)	Vertical spindle hollow shaft motors of ratings not produced in the country (for pumps manufacturers only)	5% of the face value of the licence
32(d)	Variable speed motors and other non-flame proof motors which are required in the specialised types of textile machines (for textile mills/textile machinery manufacturing industry only).	Do.
32(h)	(a) Commutators for D.C. Motors upto 1-H.P.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/ whichever is less.
	(b) Special types of carbon brushes of odd sizes required as spares.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
34(a)(1)	Special pumps for fused caustic soda or acid.	10% of the face value of the licence.

1	2	3
39(c)	Flame-proof and explosion proof fittings as per BSS-889-1965 or U.D.E.C. 166/11.58 (for fertilizer and chemical complexes).	10% of the face value of the licence.
41-A	(i) Graphite anodes machined or unmachined required for electrolytic processes.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000/ whichever is less.
	(ii) Graphite electrodes for electric furnaces.	Do.
	(iii) Carbon past for electric furnaces.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
42(b)	(iii) Protective Relays	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/ whichever is less.
42(h) (iii)	Electric control gears and electric transmission gears—others.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
43(e)	(i) Disc Insulators of above 25,000 Lbs. EMS. .	Do.
	(ii) Transformers bushings and apparatus insulators (of special types or design) of below 66.K.V.	Do.
	ii) Metallised porcelain condensor bushing for H.T. and L.T. application.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
45(c)	(i) Enamelled copper wire 44 gauges and finer gauges.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
45(c)	(ii) Enamelled copper strips	Do.
45(d)	Resistance Wire	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
46(b)	(i) Metal graphite grades of carbon blocks including carbon blocks equivalent to Morgan's C.M.2 grade and metal impregnated graphite grade of carbon blocks.	10% of the face value of the licence.
	(ii) Graphite stopper head and colloidal graphite.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
46(d)	Flame proof mining bells and flame proof mining telephones.	Do.
48-A	Electric exploders and parts thereof	Do.
PART III		
1(d)(i)	Wetting out, penetrating, dispersing, securing and emulsifying Agents (Import of only special products, required for manufacture of drugs, pharmaceuticals, insecticides and pesticides, rayon synthetic fibres, synthetic rubber and polymers is allowed).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.

1	2	3
1(d)	(iv) Synthetic bleaching agents (other than bleaching powder or hypochlorites hydrogen peroxide etc.).	10% of the face value of the licence or Rs. 5000 whichever is less
1(d)	(vi) Sodium alginat—	
	(i) for Latex industry	10% of the face value of the licence.
	(ii) for manufacture of welding electrodes.	Do.
5-A 1	Silk blting cloth (for roller flour mills, starch units, refined guar gum units and emery grain/ powder manufacturers).	Import will be allowed on the recommendation of DC(SSI) in the case of units and on the recommendation of DGTD in the case of/ other units.

PART IV.

37	Cocoa beans	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
41.	Hops	Do.
49(a)	(ii) Dammer gum for manufacture of liquid gold.	10% of the face value of the licence.
78-79	(vii) Pharmaceutical grade gelatine powder .	20% of the face value of the licence.
97.	China clay of special grades required for end uses other than art and chrome paper.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
103	Pumice stone and rubber stone for manufacture of all metal reeds and steel reeds (on the recommendation of the Textile Commissioner, Bombay).	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
127—129	(i) Citronella oil for manufacture of Aromatic chemicals namely Geraniol, Citronellol and Hydroxy Citronellol.	20 % of the face value of the licence.
	(ii) Orange oil for manufacture of flavouring essences and perfumery compounds.	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(iii) Natural essential oils for manufacture of scented and chewing tobacco.	Do.
130	Essential oils, synthetic	Do.
138	Glue not otherwise specified excluding belt dressing.	Do.
159(b)	Filter paper for the uses other than :—	
(Appendix 16)		
	(1) Gravimetric and chromatographic analysis in research laboratories.	Do.
	(2) Filters for automobiles and other internal combustion engines.	Do.

	2	3
160 Appendix 16)	Glassine paper (for certain specified end-products).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
177	Nylon yarn and thread (except industrial nylon yarn) and polyester filament yarn (except polyester filament yarn having a diameter range of 40 microns to 210 microns for manufacture of surgical sutures).	To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
240	High density aluminium grinding media	20 % of the face value of the licence.
244	Sheet glass above 6.5 mm and below 0.8 mm thickness for end uses other than cover slips.	20% of the face value of the licence.
248(c)	(1) Soft capillary tubing for manufacture of industrial, medical and general purpose thermometers.	10 % of the face value of the licence.
	(2) Quartz glass	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(3) Hard glass	Do.
	(4) Ceramic transfer scales for manufacture of clinical thermometers.	2½ % of the face value of the licence.
	(5) Milk glass sheets for manufacture of clinical thermometers.	Do.
286(b)	Letter types for typewriters.	20 % of the face value of the licence.
305	Photographic instruments, apparatus and appliances, other than cinema, all sorts, n.o.s. and parts thereof.	Import of photographic instruments, apparatus and appliances will be permitted in consultation with DGTD.
337	Empty hard gelatine capsules of sizes other than 3, 4 and 5.	20 % of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
PART V		
9	Cod oil for manufacture of industrial leather	10 % of the face value of the licence.
13	Essences containing spirit used for the manufacture of beverages.	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
17(c)	Liquid paraffin (including medical liquid paraffin)	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
34-37(h)	Blanc Fixe (for manufacture of acid resisting cement).	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
41(ii)	Giant motor/motor cycle tyres, tubes and flaps, bicycle tyres and tubes, and industrial tyres, tubes and flaps including solid tyres but excluding tractor and off-the-road tyres and tubes. (Permissible types)	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
41(iii)	Tractor and off-the-road tyres, tubes and flaps excluding other types of tyres and tubes and flaps specified elsewhere. (Permissible types).	Do.
41(iv)	Rubber Battery containers (for battery manufacturers).	5% of the face value of the licence.
41(v)	Rubber thread upto 60 gauge of heat resisting quality.	20 % of the face value of the licence.
41(vi)	Full circle collapsible curing bags.	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
42(a) (i)	<i>Types of woods</i> (i) Beach wood, Douglas fir (in consultation with Jute Commissioner, Calcutta).	<i>End-use</i> Jute Mill wooden accessories other than jute mill picking sticks, bobbins, box backs, lay races, loom lay blocks, and shuttles.
	(ii) Birch, Beach, Maple and Douglas fir (in consultation with Textile Commissioner, Bombay)	Bobbins for textile industry.
	(iii) Ash, Mulberry and beach wood.	Sports goods.
47	Raw Wool and wool tops.	To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
65(6) (a) (iii)	Spare parts required for maintenance of imported office machines and replacement of parts of indigenous machines having imported components.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-whichever is less.
68(b)	Rubber hoses required for the Oil Companies (in consultation with DGTD)	Applications will be considered in consultation with DGTD.
75(c)	Needles for all industrial sewing machines except those which are banned.	2½ % of the face value of the licence or Rs. 1,250/-whichever is less.
78(ix)	(1) PH meters electrodes } (2) PH metres }	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-whichever is less.
	(3) Ultrasonic devices including ultrasonic flaw detectors.	Applications will be considered in consultation with DGTD.

1	2	3
79]	(i) Diagnostic equipment over and above 500 MA capacity ; and (ii) X-Ray, therapy, gamma ray therapy equipment }	Applications will be considered in consultation with DGTD (Instrument Dte.).
93-94(a) (iv)	Rough Blanks other than bifocal blanks. (Release orders will be issued subject to production of non-availability certificate from M/s. Ophthalmic Glass Project, Durgapur.)	75% of the face value of the licence.
101	(1) Cellulose acetate flakes.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(2) <i>Cellulose acetate sheets/films.</i>	
	(i) For manufacture of spectacle frames.	50% of the face value of the licence.
	(ii) For manufacture of show laces.	10% of the face value of the licence.
	(iii) For manufacture of other end uses.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
111	Phenol formaldehyde moulding powder.	5% of the face value of the licence
113	Pearlascant variety of acrylic plastic sheets. (for button manufacturers)	10% of the face value of the licence.
113-F	Polyvinylidene chloride	10% of the value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
113-G	Polyvinyl formal and polyvinyl acetol.	Do.
113-H	Polyvinyl chloride resin powders.	Do.
113-J	Polythylene moulding powder (low density).	25% of the face value of the licence.
113-K	(i) PTFE tube	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.
	(ii) Special Industrial components.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.
116(ii)	Synthetic Iron Exchange Resins.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- which ever is less.
116(v)]	Epoxy Resins	20% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- which ever is less.
122(i)	(1) Polyester laminated films.	15% of the face value of the licence.
	(2) Polyester metallised films.	15% of the face value of the licence.
	(3) Other items falling under this sub-S.No. 122 (i)/V other than those covered by remarks (1), (4) and (5) against this S.No. in Section II of the Red Book (Vol. I)	10% of the face value of the licence.

1	2	3
122(ii)	<i>Flourspar</i>	
	(i) Acid Grade Flourspar for manufacture of Vitreous Enamel frit (in consultation with D.G.T.D.)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which-ever is less.
	(ii) Acid Grade Flourspar for steel casting a foundries (in consultation with D.G.T.D.)	Do.
	(iii) Acid grade flourspar (for aluminium smelters) in consultation with Deptt. of Mines and Metals.	Applications will be considered in consultation with the Deptt. of Metals.
122(iii)	Activated bleaching earth for bleaching dark coloured oils such as cotton-seed oil, rice bran oil, Sun flower oil, linseed oil, Caster oil.	5% of the face value of the licence.
122(ix)	Cryolite	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which-ever is less.
122(xi)]	Flint Stone (for lighter industry and for manufactures of machinical toys).	Do.
122(xv)	(1) Synthetic non-cellulose fibres including polyester fibre. (2) Polynosic fibre (cellulose stripe fibre).	} To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
122(xxv)	(1) Polypropylene for manufacture of combs. (2) Thermoplastic rubber (3) Other items falling under this S.No. (except those covered by remarks (i) and (ii) against this S.No.)	
		20% of the face value of the licence.
		To be announced later.
		50% of the face value of the licence.
122(xxix)	Filter aids for end-products other than Lead storage batteries.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which-ever is less.
122(xxxii)	Glass mineral, slag wool, fibre glass and products thereof.	Do.
122(xdl)	Alabaster	20% of the face value of the licence.
122(xlix)	Polyster films for conversion into stamping foils.	10% of the face value of the licence.
122(1)	Yeast food and yeast culture.	Do.

I	2	3
122(ii)	(1) Emulsifiable polyethylene wax.	75% of the face value of the licence.
	(2) Other items falling under this sub-S1. No. except those mentioned against remarks (1) and (4) against this S. No.	10% of the face value of the licence.
87-109/IV. (Appendix 19)	(1) Sulphadimidine (Sulphamethazine) (2) Amidopyrine. (3) Analgin. (4) Phenobarbitone. (5) Piperazine and its salts. (6) Streptomycin sulphate. (7) Tetracycline base and tetracycline hydrochloride. (8) Sulphaguanidine. (9) Chloraphenicol powder. (10) Chloramphenicol palmitate. (11) Chloramphenicol succinate.	Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the S.T.C.
	(12) Citric acid of pharma-copoeial grade.	20% of the face value of the licence.
	(13) Absorbable gelatine sponge.	2½% of the face value of the licence.
	(14) Acetarsol.	2½% of the face value of the licence.
	(15) Aluminium glycinate.	2½% of the face value of the licence.
	(16) Calcium D-Saccharate.	2½% of the face value of the licence.
	(17) Calcium Gluconate, injectable grade only.	2½% of the face value of the licence.
	(18) Calamine	10% of the face value of the licence.
	(19) Glycerophosphoric acid and its salts.	2½% of the value of the licence.
	(20) Heparine	2½% of the face value of the licence.
	(21) Liquid Paraffin of Pharmecopoeial grade.	5% of the face value of the licence, or Rs. 2,500/- whichever is less.
	(22) Lanolin (Adeps Lanae).	10 % of the face value of the licence of Rs. 5,000/- which ever is less.
	(23) Meprobamate.	2½% of the face value of the licence of Rs. 1250/- which ever is less.
	(24) Nikethamide.	10% of the face value of the licence.

1	2	3
(25) Phenyl Butazone and its salts.	.	2½% of the face value of the licence of Rs. 1250/- whichever is less.
(26) Potassium Hydrogen Tartrate (Cream of tartar).	.	2½% of the face value of the licence.
(27) Potassium Sodium Tartrate (Rochelle salt)	.	2½% of the face value of the licence.
(28) Potassium Iodide.	.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(29) Prednisone.	.	5% of the face value of the licence of Rs. 2,500/- whichever is less.
(30) Predisolone	.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(31) Procaine Hydrochloride.	.	2½% of the face value of the licence.
(32) Silver protein mild and strong.	.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(33) Sodium Iodide	.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1250/- whichever is less.
(34) Sodium bicarbonate of I.P. Grade.	.	5% of the face value of the licence or Rs. 2500/- whichever is less.
(35) Sorbitol.	.	10% of the face value of the licence.
(36) Succinyl Choline Chloride.	.	2½% of the face value of the licence.
(37) Thymol.	.	10% of the face value of the licence or Rs. 500/- whichever is less.
(38) Vitamins D ₂ P D ₃ .	.	2½% of the face value of the licence.
(39) Vitamin K (Menadione, Menadione Sodium Bisulphite and Acetomeaphthone).	.	2½% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
---	---	---

1-B/III Dyes used as a dye intermediate, the following :—

(Appendix 24)

<i>Name of Dye-stuff.</i>	<i>C.I.No.</i>	<i>10% of the face value of the licence.</i>
1. Blue B Base Dianiside.	37235	-do-
2. Indigo Pure	73000	-do-
3. Nephthol AS. IRG.	37513	-do-
4. Naphthol AS. LC.	37555	-do-
5. Rodamine 6 GDN.	45160	-do-
6. Thioflavine.	49005	-do-
7. Victoria Blue BO.	42595	-do-
8. Vat Yellow BY	60530	-do-
9. Vat Orange RF.	73335	-do-
10. Vat Pink R.	73360	-do-
11. Vat violet RR.	73600	-do-
12. Vat Blue 4 G.	73045	-do-
13. Vat Grey BL (Vat Black I)	73670	-do-
14. Vat Golden yellow RE.	59105	-do-

Dyes-intermediates, the following :

1. Beta Naphthol.	15% of the face value of the licence.
2. Naphthionic Acid/Sodium Naphthionate.	10% of the face value of the licence.
3. Acetoacet-o-anisidide	21% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
4. Acetoacet-M-Xylidide	21% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
5. Acid Anthranilic.	5% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
6. 1-Aminoanthraquinon.	5% of the face value of the licence.
7. Amino Iso Gamma Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
8. 1 Amino 2 Naphthol 4 Sulphonic Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
9. 1-Amino 6-Nitro 2-Nphthol 4-Sulphonic Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
10. 2-Anthraquinone Sulponic Acid-Sodium Salt.	5% of the face value of the licence.
11. Anthraquinone.	5% of the face value of the licence.

1	2	3
12.	o-Anisidine	10% of the face value of the licence.
13.	p-Anisidine	-do-
14.	Benzoyl J Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
15.	Beta-oxynaphthoic Acid (B.O.N. Acid).	10% of the face value of the licence.
16.	Bromamine Acid.	5% of the face value of the licence.
17.	Chicago Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.
18.	1-Chloroanthraquinone.	5% of the face value of the licence.
19.	4-Chloro-2-Nitroaniline.	-do-
20.	5-Chloro-o-toluidine	-do-
21.	1-4 Diamino-anthraquinone.	-do-
22.	1-5 Diaminoanthraquinone	-do-
23.	2-6 Diaminoanthraquinone	-do-
24.	1 : 5 Dibenzoyl Naphthalene	-do-
25.	Diethyl Meta Aminophenol.	10% of the face value of the licence.
26.	DI-J-Acid/Salt (Rhoduline Acid/Salt)	5% of the face value of the licence.
27	2 : 5 Dimethyl-4-Chlorophenyl Thio glycolic.	-do-
28.	Diphenylamine	20% of the face value of the licence.
29.	2 : 5 Dichlore nitro benzene.	5% of the face value of the licence.
30.	1 : 5 Dihydroxy Anthraquinone.	-do-
31.	Dimethylaniline.	20% of the face value of the licence.
32.	1 : 8 Dihydroxy Anthraquinone.	5% of the face value of the licence.
33.	G-Salt	10% of the face value of the licence.
34.	Gamma Acid/Salt.	-do-
35.	H-Acid/Salt	-do-
36.	J-Acid/Salt	15% of the face value of the licence.
37.	J-Acid Urea/salt.	10% of the face value of the licence.
38.	Laurent's Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
39.	N.W. Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.

1	2	3
40. 2-Naphthyl Talo glycolic Acid.	5% of the face value of the	20(20)1 -do-
41. o-Nitroanisol.	-do-	
42. p-Nitroanisol.	-do-	
43. p-Chloroaniline	-do-	
44. O-chloro-1(4-Sulphophenyl)-3-Methyl-5-Pyrazolone.	-do-	
45. Peri Acid/Salt	-do-	
46. Phenyl J. Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.	
47. Phenyl Hydrazine	5% of the face value of the licence.	
48. Phenyl Peri Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.	
49. Quinizarine (1,4-dihydro-xyan-thra-quinone)	5% of the face value of the licence.	
60 Resorcinol	5% of the face value of the licence, or Rs. 2,500/which-ever is less.	
51. R. Salt.	5% of the face value of the licence.	
52. Scaffer's Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.	
53. Sodium-Salt-oxal Acetic Ester/Oxal Acetic Ester/Oxal Acetic Ester-Sodium Salt.	5% of the face value of the licence.	
54. Tobias Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.	
22-31/V (Appendix 28)		
(1) Cyno Pyridine.	Release orders will be issued the State Drugs Control authorities on the S.T.C.	
(2) Formic Acid.	5% of the face value of the licence.	
(3) Meta aminophenol.	Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the S.T.C.	
(4) Pentraery-thritol.	10% of the face value of the licence.	
(5) Calcium Carbide.	To be released by the STC on the recommendation of the Sponsoring Authority.	
(6) Methyl Ethyl Kato peroxide.	24% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- which ever is less.	
(7) Aluminium flouride.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.	

I

2

3

(8) (i) Amyl alcohol.	5% of the face value of the licence.
(ii) Iso-amyl alcohol (other than of milk testing quality).	10% of the face value of the licence.
(9) Methanol technical.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
(10) C6-C12 alcohols for plasticisers, such as Octanol ISO-Octanol, Alfol, Alfolol.	2½% of the face value of the licence.
(11) Vinyl chloride.	-do-
(12) Potassium chloride (industrial grade)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
(13) Citric acid (technical grade)	20% of the face value of the licence.
(14) Pyridine base and preidine technical.	5% of the face value of the licence.
(15) Acetic Anhydride.	-do-
(16) Acetyl Acetone.	10% of the face value of the licence.
(17) Acid Anthranilic.	5% of the face value of the licence or Rs. 1250/- whichever is less
(18) Activated Carbon.	5% of the face value of the licence.
(19) Alpha Pinene.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
(20) Ammonium Carbonate.	5% of the face value of the licence.
(21) Ammonium Nitrate of explosive grade.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
(22) Ammonium persulphate and potassium persulphate.	2½% of the face value of the licence.
(23) Ammonium Thiocyanate (also known as Ammonium sulphocyanide, Thiocyanate of Rhodanide and Rhodanatum).	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
(24) Antimony Oxide	10% of the face value of the licence.
(25) Argon gas spectroscopically pure 99.99%	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
(26) Arsenic Trioxide and Arsenic Pentoxide.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.

1	2	3
(27) Ben-ophenone.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.	
(28) Benzotrichloride.	5% of the face value of the licence.	
(29) Benzyl Butyl Phthalate.	10% of the face value of the licence.	
(30) Benzyl Cyanide	-do-	
(31) Benzoyl peroxide.	2½% of the face value of the licence.	
(32) Bromine.	20% of the face value of the licence.	
(33) Butyl Alcohol (Butanol) excluding normal Butyl alcohol.	2½% of the face value of the licence	
(34) Butyl Titanate.	-do-	
(35) Calcium Carbonate (precipitated and activated).	10% of the face value of the licence.	
(36) Case hardening compound.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.	
(37) Chlorinated paraffins.	20% of the face value of the licence.	
(38) Dichloro Benzene.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.	
(39) Di-allyl Phthalate (DAP).	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.	
(40) Didecyl Phthalate (DIDP).	-do-	
(41) Dinonyl Phthalate (DNP)	-do-	
(42) Chlorofluorocarbon compounds used as refrigerant gases excluding Trichloromonofluoromethane (Fluorocarbon Refrigerant 11), Dichlorodifluoromethane (Fluorocarbon Refrigerant 12), Dichloromonofluoromethane (Fluorocarbon Refrigerant 21), Monochlorodifluoromethane (Fluorocarbon Refrigerant 22) and mixtures thereof.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.	
(43) Diphenyl Oxide/diphenyl ether.	10% of the face value of the licence.	
(44) E.D.T.A. and its sodium salts.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.	

1

2

3

- | | |
|--|--|
| (45) Esters of parahydroxy Benzoic Acid (Methyl Ethyl and Propyl.) | 2½% of the face value of the licence. |
| (46) Diethylene and Polyethylene glycol. | -do- |
| (47) Ethylene dichloride. | 10% of the face value of the licence. |
| (48) Ethylene Urea. | 2½% of the face value of the licence. |
| (49) Fumaric acid | 5% of the face value of the licence. |
| (50) Furfural | 10% of the face value of the licence. |
| (51) Gold cyanide, potassium/sodium gold cyanide, copper cyanide, Zinc cyanide and silver cyanide. | 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less. |
| (52) Glycerine | 15% of the face value of the licence. |
| (53) Hexachloroethane. | 5% of the face value of the licence. |
| (54) Hydrogen peroxide. | 5% of the face value of the licence. |
| (55) Isopropyl acetate. | 5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less. |
| (56) Hydroxylamine hydrochloride (Hydroxylammonium chloride). | 10% of the face value of the licence. |
| (57) Hydroxylamine Sulphate (Hydroxylammonium Sulphate). | -do- |
| (58) Isopropyl Nitrate. | 2½% of the face value of the licence. |
| (59) Laboratory and reagent chemicals the following :— | |
| (i) Methyl Iodide pure quality. | |
| (ii) Potassium Amyl Xanthate. | |
| (iii) Potassium Ethyl Xanthate. | |
| (iv) Potassium metal sulphite analar quality. | |
| (v) Sodium Bisulphite, pure and analar quality. | |
| (vi) Sodium Ethyl Xanthate. | |
| (vii) Sodium Iso Propyl Xanthate. | |
| (viii) Sodium metal sulphite, pure and analar quality. | |
- 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
(60)	Magnesium carbonate light and magnesium insulating materials.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less. (Import of Magnesium oxide minimum 97% will, however, be allowed upto 10% of the face value of the licence.
(61)	Metallic Acetates (except Sodium and potassium acetates which are banned for import).	10% of the face value of the licence.
(62)	Metal substituted Alkyl phenol (cardanol).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
(63)	Metol.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
(64)	Monochloro Acetic Acid and its sodium salts.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
(65)	Mono chloro Benzene.	-Do-
(66)	Musk Ketone.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
(67)	Naphthalene.	2½% of the face value of the licence.
(68)	Nickel formate.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
(69)	Nitrobenzene.	2½% of the face value of the licence.
(70)	Organic acetates, not elsewhere specified.	2½% of the face value of the licence.
(71)	Ortho Dichloro Benzene.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
(72)	Ortho oxydiphenyl and para oxydiphenyl.	10% of the face value of the licence.
(73)	Ortho Toluene Sulphonamide.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
(74)	Palladium Chloride.	-do-
(75)	Para aminophenol.	10% of the face value of the licence.
(76)	Para Hydroxy Benzoic Acid.	2½% of the face value of the licence.
(77)	Phenatidine and para Phenatidine.	5% of the face value of the licence.

1

2

3

(78) Phenoxy Acetic Acid and its salts.	10% of the face value of the licence.
(79) Phenyl acetic acid.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
(80) Phenyl acetamide.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
(81) Phosphoric Acid.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
(82) Phosphorous pentoxide.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
(83) Phthalate Plasticizers other than those covered by list II of Appendix 28 but excluding those the import of which is banned.	2½% of the face value of the licence.
(84) Picolines, Beta and Gamma.	10% of the face value of the licence.
(85) Potassium bicarbonate.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
(86) Potassium carbonate.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
(87) Potassium Silicate.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
(88) Resorcinol.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
(89) Rubber Chemicals e.g. accelerators, anti-oxidants, retarders, peptisers and reclaiming agents.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
90 Sodium Azide	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
91 Sodium bicarbonate of I.P. Grade	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
92 Sodium Chlorate	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
93 Sodium Monochloro acetate	21½% of the face value of the licence or Rs. 1250/-, whichever is less.
94 Sorbitol	10% of the face value of the licence.
95 Strontium Carbonate	5% of the face value of the licence.

1

2

3

96 Styrene	2 1/2 % of the face value of the licence.
97 Succinic Acid	5 % of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
98 Succinates	Do.
99 Submerged arc welding fluxes	5 % of the face value of the licence.
100 Terpeneol	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
101 Tert Butyl Catechol	10 % of the face value of the licence.
102 Terrasodium pyrophosphate and other poly-phosphates of sodium	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
103 Thanite	5 % of the face value of the licence.
104 Thionyl chloride	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
105. Tricosyl Phosphate	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
106. Triethanellamine titanate and Isopropyl titanate	10 % of the face value of the licence.
107. Trisodium phosphate	2 1/2 % of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
108. Xylenols	10 % of the face value of the licence.

34-37(d)

Appendix 29) Raw materials for paints :—

- (a) Antimony oxide (Painters grade) 10 % of the face value of the licence.
- (b) White spirits/Mineral turpentine To be announced later.
- (c) Xylene (for and uses other than phthalic anhydride) 5 % of the face value of the licence.
- (d) Synthetic yellow iron oxide (Pigment ment yellow 42) 10 % of the face value of the licence.

1

2

3

Appendix 24

Appendix 29

Pigment dyestuffs and cosmetic colours, the following :—

Pigment Dyestuffs:	Colour Index No.
1. S.F. Red P2R	12310
2. Persian Orange	15510
3. Lake Searlet	16105
4. Peacock Blue	42090
5. Yellow Green Toner	49010
6. Lake Magenta	No. CI
	No.
7. Crimson Toner	12825
8. Permanent Orange 2R.	12075
9. S.F. Red F4 RH.	12420
10. Rubber Blue GNS	No. CI
	No.
Cosmetic Colours :	
1. Deep Red	12350
2. Cosmetic Green Oxide	77288

Import of these items will be allowed for an aggregate value upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.

Appendix 45 (Part-A) Clock oil for manufacture of pendulum clocks . 5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.

Appendix 46.

The following raw materials/components for manufacture of storage batteries :—

1. Pig Lead	} Individual item will be allowed upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
2. Antimony.	
3. Antimony ore.	
4. Arsenical Antimonial lead alloy	
5. Special grade PVC resin (for manufacture of PVC separator only).	
6. Glass wool mats (for the manufacture of rubber separator only).	
7. Battery separator. (other than PVC, Rubber and Wooden).	
8. Micro Sulphur	
9. Pure tin.	
10. Copper ingot/copper bar	
11. Red Lead (for manufacture of Aircraft batteries only).	

Appendix 47.

The following raw materials/components for manufacture of dry battery cells :—

1. Special PVC strips and sleeves.	} Individual item will be allowed upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
2. Zinc in the form of ingot, Calots and sheets.	
3. Mercury.	
4. Cadmium Metal.	
5. Battery contacts and terminal parts for special purpose.	
6. Lead Ingot.	

1	2	3
Appendix 48.	(A) For Manufacture of drinking water coolers:	
	Tin.	5% of the face value of the licence
(B) For manufacture of Freezers below O.C.:		
Above 1/3 HP to 3/4 HP compressor.		30% of the face value of the licence
(C) For manufacture of room air-conditioners :		
(1) Thermostats above 8 amps. (for manufacture of 1 1/4 ton Air Conditioner).		2 1/2% of the face value of the licence.
(2) Piano switch		5% of the face value of the licence.
(3) Electrolytic Start Capacitors		10% of the face value of the licence.
(D) For manufacture of sealed compressors 1/8 to 7 1/2 H.P.		
(1) Copper wire 47GA for manufacture of relay.		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
(2) Phosphor Bronze sheets/strips.		Do.
(3) Beryllium copper sheet/strips		Do.
(4) Bi-metal strips.		Do.
(E) For manufacture of open type compressors 1/2 H.P. and above.		
Special bearing metal for bearings		5% of the face value of the licence.
Appendix 49.	For manufacture of house service meters.	
	Raw Materials :	
(1) Zinc		10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
(2) Tin		Do.
(3) Lead		Do.
Appendix 51.		
(1) Grinding wheels, honing stones/sticks, mechanite plates (Gap and Ring Plates)		For manufacture of ball and roller bearings, 2 1/2% of the face value of licence or Rs.1250 whichever is less.
(2) Components such as precision steel balls, finished rollers, retainers felt and rubber seals, forged and rolled rings.		10% of the face value of the licence.

1	2	3
Appendix 57.	Rubber chemicals <i>e.g.</i> accelerators, antioxidants, retarders, peptisers, and reclaiming agents (other than Hexamine type).	For manufacture of rubber goods. 10% of the face value of the licence or Rs. 5000 whichever is less.
Appendix 61.	(1) Electrolytic copper. (2) Cold Rolled Dynamo grade Silicon Steel Sheets (CRNGO).	} For manufacture of electric motors. 25% of the face value of the licence.
Appendix 62.	(1) Electrolytic grade Copper (2) C.R.G. electrical steel for units having captive capacity for stampings.	} For manufacture of Transformers 4% of the face value of the licence.

NOTE.— In the case of units eligible to preferred sources of supply on the basis of their export performance, the maximum value limit of Rs. 5,000 or below as indicated against the individual items will be doubled.

In respect of items for which the maximum value limit is more than Rs. 5,000 but not more than Rs. 10,000 it will be raised to Rs. 10,000, for such exporting units.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1972

विषय : प्रतिबन्धिता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के लिये अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के दौरान लघु उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल और संधकों के आयात के लिये लाइसेंस प्रदान करना ।

संख्या 54 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 47 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि उन मदों के आयात की स्वीकृति दी जाएगी जिनको वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए प्रतिबन्धिता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने के लिये प्रदर्शित किया गया है, किन्तु ये सीमाओं के अधीन हैं जिसकी घोषणा अलग से की जाने वाली है । इन मदों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में संकेत किये गये के अनुसार आयात की स्वीकृति मूल्य सीमाओं या अंकित मूल्य प्रतिबन्धिता के आधार पर दी जा सकती है ।

2. जहाँ एक ही आवेदन-पत्र के लिए एक वास्तविक उपयोक्ता को अर्थयुक्त किए जाने की विभिन्न विधियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, और उनमें प्रतिबन्धित मद शामिल हैं तथा लाइसेंसधारी इन लाइसेंसों में से किसी एक लाइसेंस के मद्दे उस मद का आयात करना चाहता है तो उसमें उपयुक्त सशोधन के लिए किए गए आवेदन पर पावता के आधार पर विचार किया जाएगा । ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकारी सभी लाइसेंसों के लिए स्वीकृत किए गए सम्पूर्ण मूल्य के लिये उस मद के आयात के लिये लाइसेंस को वैध करते हुए उनमें से एक लाइसेंस को पृष्ठांकित कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उपयुक्त मद को शेष लाइसेंसों से निकाल सकते हैं ।

परिशिष्ट

प्रतिबन्धिता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के सम्बन्ध में अंकित मूल्य प्रतिबन्धिता मूल्य सीमा ।

आई० टी० सी०		लाइसेंस के कुल मूल्य
अनुसूची की	मद का विवरण	के लिये अंकित मूल्य
क्रम सं० और		प्रतिबन्धित का प्रतिशत
भाग		

1	2	3	4
भाग-1			
16-ए(2)	लोहा और इस्पात तथा मिश्रित धातु इस्पात राजन्डस, राइ,	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु०	

1	2	3
	स्क्येअर्म, हेक्सागान्स और सैक्शनस इन आइट ड्रान, टर्नड पाउन्ड और/या चमकाई हुई दशा में।	इनमें से जो भी कम हो।
17-(1)	(1) 300 मि० मी० व्यास से ऊपर के कास्ट आयरन फूट वाल्व्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 500 रु० इनमें से जो भी कम हो।
17(2)(ए)	(2) अन्य प्रकार के वाल्व्स और काक्स।	वही।
	बयालर टयूब्स और ई आर डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक रेजिस्टेस वेल्डेड) टयूब्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें से जो भी कम हो।
17(2)(सी)	ए० पी० आई० विशिष्टिकरण के लाइन पाइप और टयूब्स।	वही।
17(2)(डी)	सिमलेस (मिश्रितधातु तथा कार्बन इस्पात) पाइप और टयूब्स।	वही।
17(ई)	निम्नलिखित आकार के वेल्ड किए हुए स्टील पाइप।	
	श्रेणी बाह्य घेरा म ट ई ई.आर. डब्ल्यू 8 एम. 0.7 एम. टयूबें एम. से 80 एम. से एम. एम. 4 एम.एम.	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 25000 रु० इनमें से जो भी कम
17(2)(जी)	निम्नलिखित के निर्माण के लिए जंगारोधी इस्पात पाइप तथा टयूब्स।	
	(1) औषधीय/रासायनिक/डैरी उत्पादों के लिये मांगी गई मशीनें।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो।
	(2) वस्त्र संसाधन मशीन।	
	(3) इलेक्ट्रो-मेडिकल, शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उपकरण ;	

1	2	3
	(4) इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स तथा स्वीच गीयर ; और	
	(5) वातानुकूल तथा प्रशीतक उपकरण ।	
17(4)(ए)	गड़ी हुई लोहा हस्पात पाइप लाइसेंस के अंकित मूल्य का किटिंग्स अन्यत्र विशिष्टकृत 2½ प्रतिशत या 500 रु० नहीं (स्वीकार्य मर्दे) । इनमें से जो भी कम हो ।	
17(4)(बी)	अन्य हस्पात पाइप किटिंग्स अन्यत्र विशिष्टकृत नहीं (स्वीकार्य मर्दे)	
17(5)(ए)	75 मि० सी० ओ० डी० से कम बड़ी । सी० आई० और मिश्रित धातु लोह पाइप ।	
29.	के।न.वा.न. के निर्माण रोम । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
36(भी)	निम्नलिखित बूट और जूता ग्रिडरी :- (ए) आटो सोलर वायर । (बी) आयरन या स्टील स्टेपलिंग वायर जस्नेदार या ब्लैक 10 प्रतिशत या 5000] (मशीन स्टे स को छोड़ कर) । रु० इनमें से जो भी कम (सी) माइल्ड टैकिंग वायर । हो । (डी) रियन्ड वायर । (ई) टैकिंग वायर । (एफ) स्क्रूविंग वायर । (जी) लविंग वायर (एच) बूट और जूतों की लास्टिंग के लिये अपेक्षित वायर । (आई) मशीन टैक्स ।	
38(बी)	5 टन से अधिक वीस ब्रेट के लिये लाइसेंस के अंकित मूल्य का मशीन टूल के निर्माण के लिए 5 प्रतिशत । एलाय आयरन कास्टिंग ।	

1	2	3
38-ए(सी)	बेल्डेड लिंक चेन और अन्य सभी प्रकार की लिंक चेन तथा उसके पुर्जे सहित एन्कोरिंग, हायस्टिंग आदि के लिये शिप-चेन और हायस्टिंग चेन अर्थात् राट आयरन और स्टील स्टड लिंक चेन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० या इनमें से जो भी कम हो ।
39-ए	10 मैट्रिक टन पीस बेट से ज्यादा स्टील कार्बिडिंग (बिना मशीनी कृत किया हुआ) (डी० जी० टी० डी० के परामर्श से) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
39-बी	3 मैट्रिक टन पीस बेट से ज्यादा एलाय स्टील कार्बिडिंग (बिना मशीनी कृत किया हुआ) ।	वर्द्ध ।
40.	बिना मशीनीकृत स्टील फोजिंग्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
41(2)	(1) निम्नलिखित साइजों के कापर पाइप और ट्यूबें :— (क) 22 एस डब्ल्यू जी से पतली वाल मोटाई वाले 1000 एम. एम. वाले ओ० डी० (ख) 22 एस डब्ल्यू जी और मोटे के वाल मोटाई वाले 100 एम. एम. से अधिक ओ० डी. (2) हाई टेन्सिल तथा अन्य विशेष तांबा अलाय पाइप और ट्यूबें/सेक्शनस (पीतल के अतिरिक्त) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3
41(3)	1972-73 के लिए रेडबुक (बा० 1) के खंड 2 में प्रस्तुत क्रम सं० के सामने टिप्पणी (1) से (6) के अन्तर्गत आने वाली मर्दों के अतिरिक्त अन्य मर्दें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1,250 रु० इनमें जो कम हो ।
42	कापर स्क्रीन चाहे वे इंगोटेड हों या अन्यथा रूप से हों ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
44(सी)	जिक प्रेनुनेशनस और डस्ट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
46(बी)	निम्नलिखित आकार की तांबें की पाइपें और ट्यूबें :— (क) 22 एस डब्ल्यू जी से पतली वाल मोटाई वाले 100 एम एम तक ओ. डी. । (ख) 22 एस डब्ल्यू जी और मोटे के वाल मोटाई वाले 100 एम एम से अधिक ओ. डी. ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो कम हो ।
48(बी)	निकल तथा निकल आधार वाली अलाय राबें/तारें/इलेक्ट्रोड्स ।	(1) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो । (इलेक्ट्रोड्स के आयात के लिए) । (2) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत (अन्य मर्दों के आयात के लिए) ।
50	अनराइट मोनल मेटल और इसके सेमि-मैनुफैक्चर्स जैसे शीट्स/स्ट्रिप्स, राबें और तारें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।

1	2	3
53(ए)	केलसियम मैंगनीज सिलिकान ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
57(सी)	रेलवे और ट्राम्वेज के लिए लोहे तथा इस्पात के कायल स्प्रिंग ।	डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श करने पर आयात की स्वीकृति दी जाएगी ।
57(ई)	औद्योगिक धातविक कायल स्प्रिंग, प्लेट और अन्य रूपों के स्प्रिंग जिसमें प्रीसीजन स्प्रिंग भी शामिल हैं किन्तु घड़ियों/दिवार घड़ियों आदि के लिये हेयर स्प्रिंग शामिल नहीं हैं :	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 5000 रु० जो भी कम हो ।
7-ए(बी)	स्ट्रॉंग एसिड अट्कलीज की प्रतिक्रिया के अवरोध के लिए आवश्यक ऐस्बेस्टास वेस्ट धायर ववन ज्यॉंटिंग्स, बीटर एडिशन ज्यॉंटिंग्स, ज्यानेटिंग्स और प्रशीतन ताप अवरोध के लिए आवश्यक ज्यानेटिंग्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
7-ए(सी)	विद्युत पथकरण के लिए ऐस्बेस्टास वेस्ट उत्पादों और वे उत्पादों जो अन्यथा रूप से विशिष्टकृत नहीं हैं । (स्वीकृत किस्म के) ।	वही ।
7-बी	नान-ऐस्बेस्टास पैकिंग और सभी प्रकार के बोयलर्स जो अन्यथा रूप से विशिष्टकृत नहीं हैं ।	वही ।
7-सी	सभी मशीनों के लिए स्टीम, न्यू-मेटिक और हाइड्रोलिक नान ऐस्बेस्टास पैकिंग्स ।	वही ।
8	रेडी मेड बोयलर नान-ऐस्बेस्टास पैकिंग्स ।	वही ।

1	2	3
9(ए)	(9/16") 14.2875 व्यास से ऊपर मशीनीकृत स्टील बाल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
9(बी)	ग्रेड 5, 10, 15, और 25 ए एम बी एम ए के लिये आई एस. ग्रेड 2, 1, 0 संगत के लिये सानुरूप बनाने के लिये परिशुद्ध इस्पात बाल्स ।	वही ।
9(सी) (1)	विशेष किस्म के ग्राइंडिंग मेडिया स्टील बाल्स जैसे हालो कास्ट स्टील बाल्स ।	वही ।
9(सी) (2)	बाल बेयरिंग के निर्माण के लिए फोर्ज्ड स्टील बाल्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
9(डी) (1)	खास कामों के लिए इलेक्ट्रोड्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।
9(जी)	रोलर/नीडल रोलर्स प्रतिबन्धित किस्म को छोड़कर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
9(आई)	बैलिङ्ग इलेक्ट्रोड्स के निर्माण के लिये लौह चूर्ण	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
11	(1) जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्कैप ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(2) जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्ट्रिप्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
12	एन्टी ब्याटिक वाश्रल कैपस के निर्माण के लिए लच्छों में अपेक्षित 34 गाज और धीनर गाज एल्यूमीनियम स्ट्रिप्स (व्वाइरों और औष-धीय उद्योग के लिये) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3
13	ई० सी० ग्रेड एल्युमिनियम।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो।
16(सी)	ओलाइट ब्रश को छोड़कर लोहे तथा कांसे के सिटर्ड पुर्जों/संघटक।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1,250 रु० इनमें जो भी कम हो।
17(ए)(1)	(ए) मिनेरिक उद्योग के लिये जिरकान फ्लोर सहित जिरकोनियम अपेसिफायर्स। (बी) ओलाइट और इलेक्ट्रिक बैल्टिंग उद्योग के लिये स्टाइल। (सी) केडमियम	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो। वही (1) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत (केडमियम साल्ट को तैयार करने के लिये)। (2) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत (अन्य अंतिम उपयोगों के लिये)।
	(डी) कोबाल्ट।	(1) लाइसेंस के अंतिम मूल्य का 50 प्रतिशत (कोबाल्ट साल्ट के निर्माण के लिये)। (2) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत (अन्य अंतिम उपयोगों के निर्माण के लिये)।
	(ई) बिस्मथ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।

1	2	3
17(ए) (2)	अलौह मिश्रधातु इलेक्ट्रोडम तथा वायर जिनमें स्टेल्साइट और अन्य समतुल्य कोबाल्ट ब्रेस हाई फेसिंग अलाय शामिल हैं।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो।
17(ए) (3)	वे एकक जिनके पास पर्याप्त इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण हैं और जो तैयार प्लेटिड उत्पादों के वास्तविक निर्माण में लगे हुए हैं उनके लिये आवश्यक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिये केंद्र-मिश्रण के अनिवार्य अलौह इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड्स।	वही।
17(बी) (1)	अलाय पेन पुआइंट्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।
(2)	एल्यूमिनियम अबरोधक अलाय सहित विशेष अलाय।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो।
(3)	इलेक्ट्रिकल तथा आटो-मुशाइल्स उद्योगों के लिये लौह तथा अलौह कम्बिनेशन सहित सभी किस्म के बार्ड-मेटल स्ट्रिप्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।
(4)	विशेष इलेक्ट्रिकल तथा वैमानिक प्रयोजनों के लिए कनेड माल।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत।
17(सी)	केवल जिप/सैनैप फास्टर्नस, रि-लाइसेंस के अंकित मूल्य का बेटस, स्कूज तथा पेन की टोपियों के निर्माण के लिये एल्यूमिनियम अलाय टयूब/स्ट्रिप्स/वायर/प्लेट्स।	10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो।
20(1)(ए (बी) और (सी)	(1) 1.6 मि० सी० मोटाई के कम के स्लिडिंग सास और स्लोहिंग कटर्स। (2) डायमंड वायर ड्राविंग ड्राइ	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो भी कम हो।

1	2	3	4
	(3) 3 मी० मी० से कम के टप्स और डाइज ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो कम हो ।	
	(4) ब्रोचेज	वही ।	
	(5) गियर हाब्स तथा विशेष किस्म के गियर कटर्स ।	वही ।	
	(6) स्टेलाइट टिप्साटिप्पड अोजार	वही	
20(2)(ए)	इन्सेट डब्लूडस टाइपों के साथ सरकुलर वही		
(1)	सास		
21(1)	(1) 150 मि० मी० से ऊपर साइज के आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा उन के फालतू पुर्जे ।	वही	
	(2) थ्रोड प्लग गेज तथा रिंग गेज	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो ।	
	(3) गेज ब्लॉक्स (कार्बाइड स्लिप गेज से भिन्न स्लिप गेज) ।	वही	
24(बी)	ग्राइडिंग व्हील्स तथा सिग-मेंटस ।	वही	
24(सी)	फाउन्टेन पैन के निर्माण के लिये निब स्लिडिंग व्हील्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।	
25(डी)	(1) कार्बोरेइड और सिलिकेटिक एल्युमिनियम अक्साइड (भूरे रंगों को छोड़कर) 300 ग्रामों और फाइनर साइज के एब्रेसिवग्रेन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो ।	
	(2) ब्राउन सिलिकेटिक एल्युमिनियम अक्साइड एब्रेसिव ग्रेन्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इसमें जो भी कम हो ।	

1	2	3
28(4)	परिशिष्ट 23 में निहित को छोड़कर बी-बैल्टस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो भी कम हो ।
28(8)(बी)	सेफ्टी रेजर ब्लेड के निर्माण के लिए इस्पात कन्वेयर बैल्टस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
32(बी)	वेशमें नहीं उत्पन्न किए गए (केवल पम्पों के निर्माण के लिए) रेटिंग के बटिकल स्पिन्दल हालो साफ्ट मोटरें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
32(डी)	विभिन्न गतिवाली मोटरें तथा अन्य नान-फ्लेम प्रूफ मोटरें जिनकी जरूरत वस्त्र-मशीनों (केवल उत्पादन उद्योग के लिए वस्त्र मिल/वस्त्र-मशीन) के विशिष्ट-कृत टाइपों के लिए है ।	वही ।
32(एच)	(ए) 1 अश्व शक्ति तक डी० ग्री० मोटरों के लिये कोम्पैक्ट्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० चाहे जो भी कम हो ।
	(बी) फालतू पुर्जों के रूप में अपेक्षित ग्राह के कार्बन ग्राहों के विशिष्ट टाइप्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो ।
32(ए)(1)	फ्यूड कास्टिक सोडा या एसिड के लिए विशेष पम्प ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
39(सी)	बी एस एस-889-1965 अथवा यू० डी० ई० सी० 166/11.58 के अनुसार फ्लेम प्रूफ तथा एक्सप्लोजन प्रूफ फिटिंग्स (रासायनिक खाद तथा रसायन कमप्लेक्सों के लिये) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1	2	3
41ए (1)	मशीनी अथवा बिना मशीनी इलेक्ट्रोलिटिक संसाधनों के लिए आवश्यक ग्रेफाइट एनोडस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
(2)	विद्युत फर्नेसस के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडस ।	
	(3) विद्युत फर्नेसस के लिए कार्बन पेस्ट ।	लाइसेंस मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
42(बी) (3)	सरंक्षी रिलेज ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
42(एच) (3)	विद्युत नियंत्रक गीयर्स तथा विद्युत संचार गीयर्स—अन्य ।	वही ।
43(ई)	(1) 25000 एल वी एस ई एम एस से ऊपर के डिस्क अवरोधक ।	वही । ,
	(2) 66 के० वी० से कम के परिवर्तक ब्रुशिंग और उपकरण अवरोधक (विशेष प्रकार के डिजाइन के) ।	वही ।
	(3) एच० टी० और एल० टी० के प्रयोग के लिये मेटेलाइज्ड प्रोसिलेन कन्डेन्सर ब्रुशिंग ।	वही ।
45(सी) (1)	इनेमल तांबातार 44 गेज तथा फाइनर गेज ।	वही
45(सी) (2)	इनेमललड तांबा स्ट्रिप्स ।	वही ।
45(डी)	प्रतिरोधक तार ।]	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो कम हो ।

1	2	3
46(बी)	(1) कार्बन ब्लॉक के धातु लाइसेंस के अंकित मूल्य का ग्रेफाइट ग्रेड्स जिनमें मार्गन्स सी एम-2 ग्रेड तक कार्बन ब्लॉक्स संतुल्य शामिल हैं तथा कार्बन ब्लॉक के धातु इम्प्रेग्नेटेड ग्रेफाइट ग्रेड ।	10 प्रतिशत ।
	(2) ग्रेफाइट स्टोपर हैड तथा कोलियडल ग्रेफाइट ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
46(डी)	अग्निरोधक माइनिंग वेल्स तथा अग्निरोधक माइनिंग टेलीफोन ।	वही ।
48(ए)	विद्युत विस्फोटक तथा उनके पुर्जे ।	वही ।
भाग—3		
1(डी) (1)	वेल्डिंग ग्राउट, पेनेट्रेटिंग डिस्-सिंग, स्क्रोविंग तथा एमलसिफाइंग एजेंट्स (भेषज, भेषजीय कीटनाशक तथा रोगाणुनाशक, रेयन सिन्थेटिक फाइबर्स, सिन्थेटिक रबड़ तथा पालिमर्स के निर्माण के लिए अपेक्षित केवल विशेष उत्पादों के आयात की स्वीकृति दी जाती है) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
1(डी) (4)	सिन्थेटिक ब्लीचिंग एजेंट्स (ब्लीचिंग पाउडर या हाइड्रोजन पेराक्साइड आदि से भिन्न) ।	वही ।
1(डी) (6)	सोडियम एसिजिनेट— (1) लेटैकम उद्योग के लिये	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(2) वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के निर्माण के लिये ।	वही ।

1	2	3
5ए	सिल्क ब्रेलिंग क्लाय (रोलर प्लोर मिल्स, स्टार्च यूनिट्स रिफाइन्ड गौर गम यूनिट्स तथा एमरी ग्रन पाउडर बनाने वालों के लिए) ।	एस एस आई यूनिट के मामलों में आयात की स्वीकृति डी० सी० (एस एस आई की सिफारिश पर तथा अन्य यूनिटों के मामलों में डी० जी० टी० डी० की सिफारिश पर दी जाएगी ।
भाग—4		
37	कोको बोन्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
41	हाप्स ।	वही ।
49(ए) (2)	तरल सोना बनाने के लिए डेमर गम ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
78-79(7)	भेषज ग्रेड वाले गिलेटाईसपाउडर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
97	घाट तथा क्रोम पेपर को छोड़ कर अन्तिम उपयोग को छोड़कर अन्तिम उपयोग के लिए आवश्यक विशेष वर्ब चीनी मिट्टी ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० जो भी कम हो ।
103	सभी प्रकार के मेटल रीड्स तथा स्टील रीड्स (बस्त्र आयुक्त, बम्बई की सिफारिश पर) के निर्माण के लिये प्यूमाइस स्टोन और रबड़ स्टोन ;	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
127—129	(1) एरोमेटिक केमिकल्स जैसे जेरेनियोल, साइट्रोनेलोल और आइसोक्सी साइट्रोनेलोल के निर्माण के लिये साइट्रोनाला आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
	(2) सुगंध करने वाले सत्त और इत्र-साजी के कम्बाउन्ड के निर्माण के लिये आरेंज आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3	4
	(3) सुगंधित तथा चर्वण तम्बाकू के निर्माण के लिए नेचुरल एसेंसियल आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10% या 5000 रु इनमें जो कम हो ।	
130	तात्त्विक मूल संश्लेषण ।	वही ।	
138	बैल्ट ड्रेसिंग को छोड़कर ग्लू, जो अन्यथा रूप से विशिष्टीकृत अन्तिम प्रयोग नहीं हो ।	वही ।	
159(बी)	निम्नलिखित के अतिरिक्त (परिशिष्ट 16) के लिए छून्ना पात्र :—		
	(1) अनुसन्धान प्रयोगशालाओं के लिये ग्रीवीमोट्रिक और क्रोमोटोग्राफिक अमैलसिस ।	वही ।	
	(2) मोटर कारों और अन्य आन्तरिक दहन इंजनों के लिए छून्ना ।	वही ।	
160 (परिशिष्ट 16)	ग्लेसीन कागज (कतिपय विशिष्ट अन्तिम उत्पादों के लिए)	वही ।	
177	नाइलोन रेशे और धागे (औद्योगिक नाइलोन रेशे को छोड़कर) और पोलिस्टर फिलामेंट रेशे (सर्जिकल सचर्स के निर्माण के लिये 40 माइक्रोन्स से 210 माइक्रोन्स घेरे वाले पोलिस्टर फिलामेंट रेशे को छोड़ कर) ।	प्रायोजित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर बंटाई किए जाने हैं ।	

1	2	3
240	हार्ड डेन्सिटी एल्यूमिनियम ग्राइडिंग ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
244	मेडिया । कवर स्लिप्स के अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग में आने वाली 6.5 एम से अधिक और 0.8 एम मोटाई से कम वाली शीट्स ग्लास ।	वही ।
248(सी)	(1) औद्योगिक चिकित्सा और सामान्य प्रयोजनों के लिए थर्मामीटर के निर्माण के लिए नर्स केपिलरी ट्यूबिंग ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(2) क्वाटर्स-ग्लास ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० में जो भी कम हो ।
	(3) हार्ड ग्लास ।	वही ।
	(4) लाक्षणिक थर्मामीटर के निर्माण के लिए सिरेमिक ट्रांसफर स्केल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत ।
	(5) लाक्षणिक थर्मामीटर के निर्माण के लिए मिलक ग्लास ।	वही ।
286(बी)	टाइपराइटर के लिए टाइप करने वाले अक्षर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
305	सिनेमा से अन्य सब प्रकार के फोटो यंत्र, उपस्कर तथा साधित्र, अन्यत्र विनिष्ठित नहीं, और उनके पुर्जे/	फोटो संज्ञों उपस्करों और साधित्रों के आयात की अनुमति डी० जी० टी० डी० के परामर्श से दी जाएगी ।
337	3, 4 तथा 5 साइजेज के अलावा अन्य एम्पटि हार्ड ग्लेटाइन कप्स्यूल्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1

2

3

भाग—5

- 9 औद्योगिक चमड़े के निर्माण के लिए काष्ठ तेल लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
- 13 स्प्रिट मिश्रित तत्व जो मदिरा निर्माण के प्रयोग के लिये किए जाते हैं । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
- 17(सी) लिक्विड मैराफिन (जिनमें मैडिकल लिक्विड पैराफिन शामिल हैं) । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो कम हो ।
- 34—37(एच) ब्लैक फिक्से (एसिड प्रतिरोधक सीमेंट के निर्माण के लिये) । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

भाग—5

- 41(2) असाधारण मोटर, मोटर साइकिल के टायर ट्यूब, ट्यूब और फ्लैप्स, बाइसिकल के टायर और ट्यूब तथा औद्योगिक टायर ट्यूब और फ्लैप्स जिनमें ठोस टायर शामिल हैं, किन्तु ट्रैक्टर टायर शामिल नहीं हैं, और सड़क के लिये प्रयोग में आने वाले के अलावा टायर और ट्यूब (स्वीकृत किस्म के) । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
- 41(3) ट्रैक्टर और सड़क के लिये प्रयोग में आने वाले के अलावा टायर, ट्यूब और फ्लैप्स, जिनमें अन्य किस्म के टायर और ट्यूब और फ्लैप्स, जो अन्य जगह पर विशिष्टिकृत हैं शामिल नहीं हैं (स्वीकृत किस्म के) । वही ।
- 41(4) खड़ बैटरी धारक (बैटरी निर्माण के लिये) । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।

1	2	3
41(5)	60 गेज तक ऊष्म अवरोधी क्वालिटी के रबड़ धागे ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
41(7)	फुल सर्किल कोलैपसिबल क्यो- रिंग बैग्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 ₹० इनमें जो कम हो ।
42(ए) (1)	लकड़ी की किस्म अन्तिम उपयोग (1) समुद्रतटीय पटसन मिल वही । लकड़ी, दुग्लास पिकिंग छड़े फर (पटसन बाबिन्स, ब्राक्स आयुक्त कल- बैक्स, ले रेसिस कला के परा- लूम ले मर्श के साथ) । ब्लाक्स तथा शटल के अलावा पटसन मिल की लकड़ी की अन्य वस्तुयें ।	
	(2) बिर्ज, बीच, कपड़ा उद्योग वही । मेपिल और के लिए दुग्लास फर बाबिन्स । (बम्बई पटसन आयुक्त के परामर्श के साथ) ।	
42(ए)	(3) राख, मल्बरी खेल-कूद तथा समुद्र तटीय का सामान लकड़ी	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 ₹० इनमें जो भी कम हो ।
47	कच्चा ऊन तथा ऊन टाप्स	प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर बंटित किया जाना है ।

1	2	3
65(6)(ए)(3)	आयातित कार्यालय मशीनों के लिए देशी मशीनों में जिनके संघटक आयातित हैं उनके पुर्जों को दलने के लिये आवश्यक फालतू पुर्जे ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
68(बी)	तेल कम्पनियों के उद्योग के लिए आवश्यक रखड़ होज (डी० जी० टी० डी० के परामर्श के साथ) ।	डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा ।
76(सी)	सभी औद्योगिक मशीनों के लिए सूइयाँ, किन्तु प्रतिबन्धित सूइयों को छोड़कर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो कम हो ।
78(9)	(1) गीएच मीटर इलेक्ट्रोडोस (2) गीएच मीटर्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
	(3) अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज जिनमें अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर्स शामिल हैं ।	डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा ।
7)	(1) 500 रु० से अधिक क्षमता रखने वाले नैदानिक उपकरण, तथा (2) एक्सरे, थेरोपि, गामा-रे थेरोपी उपकरण ।	} वही ।
93-94(ए)(4)	बाइफोकल ग्लेस के अलावा रफ, ग्लेस (सर्वे श्री आपथलमिक ग्लास प्रोजेक्ट, दुर्गापुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रिहाई आदेश जारी किए जाएंगे ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत ।

1	2	3
101	(1) सेलूलोज एसिटेड फ्लेक्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(2) सेलूलोज एसिटेड शीट्स/ फिल्मस ।	
	(1) ऐनक के फ्रेम के निर्माण के लिए ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत ।
	(2) जूतों के फीतों के निर्माण के लिए ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत
	(3) अन्य अन्तिम उपयोगों के निर्माण के लिये	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
111	फिनोल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
113	एक्रिलिक प्लास्टिक शीट्स की पर्लसेंट किस्म (बटन बनाने के लिए) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
113-एफ	प्ला विनिलिलिडीन क्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
113(जी)	पोलिबिनाइल फार्मल तथा पोलिबिनाइल एसिटोल ।	वही ।
113(एच)	पोलिबिनाइल क्लोराइड रेजिन्स पाउडर ।	वही ।
113-जे	पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर (लो डेन्सिटी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत ।
113-के	(1) पी टी एफ ई ट्यूब ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें से जो भी कम हो ।
	(2) विशेष औद्योगिक संघटक	वही ।

1	2	3
116(2)	सिन्थेटिक ग्रायन एक्सचेंज रेजिन्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो।
116(4)	इपाक्सी रेजिन्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें से जो भी कम हो।
122(1)	(1) पालिस्टर लेमिनोटेड फिल्म	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 15 प्रतिशत।
	(2) पालिस्टर मेटेलाइज्ड फिल्म	वही।
	(3) प्रस्तुत उपसं० 122(1)/ 5 के अन्तर्गत आने वाली अन्य मर्दों जो रेड बुक के (वा० 1) के खंड 2 में प्रस्तुत क्रम सं० के सामने टिप्पणी (1), (4) तथा (5) के अन्तर्गत आने वाली मर्दों से भिन्न हैं।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।
122(2)	फ्लोरोस्पर :	
	(1) बिट्रिक्स एनामल फ्रिट के निर्माण के लिये एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर (डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श पर)।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो।
	(2) स्टील कास्टिंग फाईन्ड्री के लिये एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर (डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श पर)।	वही।
	(3) एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर (एल्यूमी- नियम स्पेल्टर के लिये) खनन और धातु विभाग के साथ परामर्श करने पर।	धातु विभाग के साथ परा- मर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।
122(3)	गहरे रंग वाले तेल जैसे विनौले का तेल, राइस ब्रान तेल, सूरज मुखी तेल, अलसी तेल, केस्टर तेल के ब्लीचिंग के लिए एकटवेविड ब्लीचिंग अर्थ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत।

1	2	3
122(9)	क्राइलाइट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
122(11)	सकमक पत्थर (लाइटर उद्योग के लिए और तकनीकी खिलौनों के निर्माण के लिए) ।	वही ।
122(15)	(1) सिन्थेटिक गैर सेलूलोज फाइबर, जिनमें पोलिस्टेर फाइबर शामिल है । (2) पोलिसोनिक फाइबर (सेलू- लोज स्पेशल फाइबर) ।	प्रायोजिक प्राधिकारी की सिफारिश पर बंटा दिया जाना है ।
122(25)	(1) कंधियों के निर्माण के लिए पालिप्रोप्लीन में (2) थर्मोप्लास्टिक रबड़ । (3) प्रस्तुत क्रम सं० के अन्तर्गत आने वाली अन्य मर्दे (प्रस्तुत क्रम सं० के सामने की टिप्पणी (1) तथा (2) के अन्तर्गत आने वाली मर्दों को छोड़ कर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत बाद में घोषित किया जाना है । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत ।
122(29)	लेड स्टोरेज बैटरी के अलावा अन्तिम उत्पाद के लिए फिल्टर एड्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
122(32)	ग्लास मिनेरल्स स्लीग वूल, फाइबर ग्लास और उनके उत्पादें ।	वही ।
122(41)	एलाबास्टर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
122(49)	स्टेपिंग फाइबर्स में परिवर्तन के लिये पालिस्टेर फिल्म ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
122(50)	खमीर खाद्य और खमीर उपज ।	वही ।
122(51)	(1) इमल्सीफिएबल पोलिथीन वेक्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत ।

1

2

3

- (2) प्रस्तुत क्रम सं० के अन्तर्गत लाइसेंस के अंकित मूल्य का टिप्पणी (1) और (4) के 10 प्रतिशत।
सामने उल्लिखित मर्चों को छोड़कर प्रस्तुत उप-क्रम सं० के अन्तर्गत आने वाली अन्य मर्चें।

87-109/4

(परिशिष्ट-19)

- | | |
|--|---|
| (1) सल्फाडिमिडाइन (सल्फा-मेथेजाइन)। | भारतीय भेषज तथा औषधीय लि० के लिए राज्य भेषज नियंत्रणप्राधिकारियों द्वारा बंटन आदेश जारी किए जाएंगे। |
| (2) एमिडोपाइराइन। | |
| (3) एनलजिन। | |
| (4) फि नोबारबिटोन | |
| (5) पिपराजाइन और इसके साल्ट। | |
| (6) स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट | |
| (7) टेट्रासिकलाइन बेस और ट्रेट्रसिकलाइन हाइड्रोक्लोराइड। | |
| (8) मल्फागोनाइड। | |
| (9) क्लोरमफिनिकोल पाउडर | राज्य व्यापार निगम को भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा बंटन आदेश जारी किए जाएंगे। |
| (10) क्लोरमफिनिकोल पामिटेट | |
| (11) क्लोरमफिनिकोल ससिनेट | |
| (12) फार्म-करीअ ग्रेड के साइट्रिक एसिड | |
| (13) अवशोष्य जिलेटिन स्पांज | लाइसेंस के अंकित मूल्य का 21/2 प्रतिशत। |
| (14) एसिटारसोल | वही |
| (15) एल्यूमीनियम ग्लिसिनेट | वही |
| (16) कैल्सियम डि-सकारेट | वही |
| (17) कैल्सियम केवल इन्जे- | वही |

1	2	3	4
	स्टेबल ग्रेड वाले कैल्सियम ग्लूकोनेट		
(18)	केलामाइन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
(19)	ग्लाइसरोफोस	वही 2 1/2 प्रतिशत ।	
(20)	हेमाराइन	वही 2 1/2 प्रतिशत ।	
(21)	फर्माकोफिल ग्रेड का लिक्विड पाराफिन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।	
(22)	लेनोलिन (एडेप्स लेनी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000/- रुपये इनमें जो भी कम हो ।	
(23)	मेप्राबामेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इनमें जो भी कम हो ।	
(24)	निकेथेमाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
(25)	फिनाइल बुटाजोन और उसके साल्ट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250/ रुपये इन में जो भी कम हो ।	
(26)	पोटेशियम हाइड्रोजन टारट्रेट (टारटार की क्रीम) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।	
(27)	पोटेशियम सोडियम टारट्रेट (रोछेलि साल्ट)	वही	
(28)	पोटेशियम आयोडाइड	वही	
(29)	प्रेडनिसोन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये इनमें जो भी कम हो ।	
(30)	प्रेडिसोनोल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500/- रुपये इनमें जो भी कम हो ।	

1

2

3

- (31) प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।
- (32) सिल्वर प्रोटीन, नर्म और सख्त I.. लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
- (33) सोडियम आयाइड लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250/- रुपये इन में जो भी कम हो ।
- (34) आई० पी० ग्रेड के सोडियम बाईकार्बोनेट लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये इन में जो भी कम हो ।
- (35) सोर्बिटोल लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
- (36) सक्सिनाइल क्लोलाइन क्लोराइड लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।
- (37) थाइमल लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 500 रुपये, इन में जो भी कम हो ।
- (38) डी 2 और डी 3 विटामिन्स लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।
- (39) विटामिन के (मेनडायन, मेनडायन सोडियम बिएल्फाइट और एसिटोमेनाफथाने) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 5,000 रुपये, इन में जो भी कम हो ।

1

2

3

1-बी-3

रंजक अन्तः स्थ के रूप में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित रंजक :—

(परिशिष्ट-24)

रंजक पदार्थों का नाम	सी०आई०सं०	
(1) ब्लू बी बेस डायनाइसाइड	37235	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
(2) नील विशुद्ध	73000	वही
(3) नेप्योल एस०आई०आर० जी०	37513	वही
(4) नेप्योल ए०एस०एल० सी०	37555	वही
(5) रोडामाइन 6 जी०डी० एम०	45160	वही
(6) थाइफ़ लेविन	49005	वही
(7) विक्टोरिया ब्लू बीओ	42595	वही
(8) वाट येलो बीवाई	60530	वही
(9) वाट आरेंज आरई	73335	वही
(10) वाट पिंक आर	73360	वही
(11) वाट वायलेट आरआर	73600	वही
(12) वाट ब्लू 4 जी	73045	वही
(13) वाट ग्रे बी एल (वाट ब्लैक)	73670	वही
(14) वाट गोल्डन येलो आर के	59105	वही

निम्नलिखित रंजक अन्तः स्थ:

(1) बीटा नेप्योल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 15 प्रतिशत ।
(2) नेपथियोनिक एसिड/सोडियम नेपथियोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1	2	3
(3) एसिटोअसेट-ओ- एनिसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये इनमें जो भी कम हो।	
(4) एसिटोअसेट-एम- जिलिडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो।	
(5) एसिड एन्थानिलिक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो।	
(6) 1-एमिनोएन्थ्राकुइनान	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत।	
(7) 7-एमिनो आइसो गामा एसिड/साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
(8) 1. एमिनो 2. नेफथोल 4. सल्फोनिक एसिड/साल्ट	वही 5 "	
(9) 1-एमिनो 6-नाइट्रो 2-नेफथोल 4-सल्फोनिक एसिड/साल्ट	वही 5 "	
(10) 2-एन्थ्राकुइनोन एसिड— सोडियम साल्ट	वही 5 "	
(11) एन्थ्राकुनोन	वही 5 "	
(12) ओ-एनिसिडीन	वही 10 "	
(13) पी-एनिसिडीन	वही 10 "	
(14) बेन्जोइल-जे-एसिड/साल्ट	वही 5 "	
(15) बिटा-आक्सिमेफ थाइक एसिड (बी०ओ०एन० एसिड)	वही 10 "	
(16) ब्रोमेमीन एसिड	वही 5 "	
(17) शिकागो एसिड/साल्ट	वही 10 "	

1	2	3	
(18)	1-क्लोरोएन्थ्राकुइनोन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
(19)	4-क्लोरा-2-नाइट्रो- एनिलिन	वही 5	"
(20)	5-क्लोरा-ओ-टाल्यूडिन	वही 5	"
(21)	1-4 डाइअमिनो- एन्थ्राकुइनोन	वही 5	"
(22)	1-5 डाइअमिनो- एन्थ्राकुइनोन	वही 5	"
(23)	2-6 डाइअमिनो- एन्थ्राकुइनोन	वही 5 वही 5	" "
(24)	1.5 डिबेन्जिल नेफथलीन	वही 5	"
(25)	डिएथिलोमिटा एमिनोफिनल	वही 10	"
(26)	डि-जे-एसिड/साल्ट (रोडुलिन एसिड/साल्ट)	वही 5	"
(27)	2.5 डिमिथिल-4- क्लोरोफिनल और ग्लाइकोलिक	वही 5	"
(28)	डिफेनिलेमाइन	वही 20	"
(29)	2:5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन	वही 5	"
(30)	1.5 डाइहाइड्रोक्सी एन्थ्राकुइनोन	वही 5	"
(31)	डाइमेथिलेनिलीन	वही 20	"
(32)	1.8 डाइहाइड्रोक्सी एन्थ्राकुइनोन	वही 5	"
(33)	जी साल्ट	वही 10	"

1

2

3

(34) गामा एसिड/साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत		
(35) एच-एसिड/साल्ट	वही	10	„
(36) जे-एसिड/साल्ट	वही	15	„
(37) जे-एसिड यूरिया/साल्ट	वही	10	„
(38) त्थोरेन्ट की एसिड/साल्ट	वही	5	„
(39) एन० डब्लू एसिड/साल्ट	वही	10	„
(40) 2-नेफथिल थियोग्लो- कोलिक एसिड	वही	5	„
(41) ओ-नाइट्रोएनिसोल	वही	5	„
(42) पी-नाइट्रोएनिसोल	वही	5	„
(43) पी-क्लोरोएनिलिन	वही	5	„
(44) ओ-क्लोरो 1(4-सल्फो- फिनाइल)-3-मेथिल-5- पायराजोनोल	वही	5	„
(45) पेरी एसिड/साल्ट	वही	5	„
(46) फीनिल जे० एसिड/ साल्ट	वही	10	„
(47) फीनिल हाइड्राजीन	वही	5	„
(48) फीनिल पेरी एसिड/साल्ट	वही	10	„
(49) क्वंजेरिन (1.4 (डिहाईड्राक्सी एन्थ्रकुइनोन)	वही	5	„
(50) रेज्जासिनोल	वही	5	„
	या 2,500 रुपये जो भी कम हो।		
(51) आर० साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत		
(52) स्केडफर की एसिड/साल्ट	वही	10	„

1

2

3

- | | |
|--|--|
| (53) सोडियम-साल्ट-ब्राक्सल
एसेटिक एस्टर/ब्राक्सल
एसेटिक एस्टर/ब्राक्सल
एसेटिक एस्टर-सोडियम
साल्ट | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत |
| (54) टोबियास एसिड/साल्ट | वही 10 „ |

22-31/5

(परिशिष्ट-28)

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) साइनो पाभरीडीन | रिहाई आदेश राज्य भेषज
नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा
राज्य व्यापार निगम को
जारी किए जाएंगे । |
| (2) फार्मिक एसिड | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत । |
| (3) मेटा एमिनोफि नोल | रिहाई आदेश राज्य भेषज
नियंत्रण प्राधिकारियों
द्वारा राज्य व्यापार निगम
को जारी किए जाएंगे । |
| (4) पेंटाएरी-थिटोल | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
10 प्रतिशत । |
| (5) केलसियम कार्बायड | प्रायोजित प्राधिकारी की
सिफारिश पर राज्य व्या-
पार निगम द्वारा रिहा किया
जाना है । |
| (6) मेथिल एथिल किटोन
पेरोक्साइड | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत या
1,250 रुपये इन में जो
भी कम हो । |
| (7) एल्युमीनियम फ्लोराइड | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
10 प्रतिशत या 5000
रुपये इनमें जो भी कम
हो । |

1	2	3
(8) (1) एमिल अल्कोहल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।	
(2) आइसो-एमिल अल्कोहल (मिल्क टेस्टिंग क्वालिटी से भिन्न)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये— इन में जो भी कम हो ।	
(9) मेथानोल टेक्नीकल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो	
(10) ब्राक्टानोल/आइसो-ब्राक्टानोल, एलफोल, एलफोनोल जैसे लास्टि-साइजर्स के लिए सी 6—सी 12 अल्कोहल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।	
(11) विनाइल क्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।	
(12) पोटैशियम क्लोराइड (औद्योगिक कोटि)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये में जो भी कम हो ।	
(13) सिट्रिक एसिड (टेक्निकल ग्रेड)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।	
(14) पाअग्रिडीन बेस तथा पाअग्रिडीन टेक्निकल ।	वही 5 ”	
(15) असेटिक एन्हाइडाइड	वही 5 ”	
(16) असेटिल एसिटोन	वही 10 ”	

1

2

3

- | | |
|--|--|
| (17) एसिड एनथानिलिक] | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
या 1,250 रुपये इन में
जो भी कम हो । |
| (18) एक्टिवेटेड कार्बन | वही 5 „ |
| (19) एलफा पिनेन | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
10 प्रतिशत या 5000
रुपये इन में जो भी कम
हो । |
| (20) अमोनियम कार्बोनेट | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत । |
| (21) विस्फोटक कोटि का
अमोनियम नाइट्रेट | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत या 1250
रुपये—इन में जो भी कम
हो । |
| (22) अमोनियम, परसल्फेट
तथा पोटेशियम परसल्फेट | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत । |
| (23) अमोनियम थियोसियानेट
(रोडेनाइट तथा रोडेनेटम
के अमोनियम सल्फोसायनाइट
थियोसियानेट के रूप में भी
जाना जाता है) । | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत या 2500
रुपये इन में जो भी
कम हो । |
| (24) एन्टीमोनी आक्साइड | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
10 प्रतिशत । |
| (25) आरगन गैस स्पेट्रो
सकोपिकली 99.99 प्रतिशत
शुद्ध । | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
10 प्रतिशत या 5000
रुपये जो भी इन में कम
हो । |
| (26) आरसेनिक ट्राइआक्-
साइड तथा आरसेनिक
पेन्टोसाइड । | लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत या 2500
रुपये इन में जो भी कम
हो । |

1

2

3

(27) बेंजाफिनोन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
(28) बेंजोट्रिक्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
(29) बेंजाइल व्युटिल फथेलेट	वही 10 „
(30) बेंजाइल सायनाइड	वही 10 „
(31) बेन्जिल पैरक्साइड	वही 2.1/2 „
(32) ब्रोमाइन	वही 20 „
(33) सामान्य व्युटिल अल्- कोहल को छोड़कर व्युटिल अल्कोहल (ब्यूटनाल)	वही 2.1/2 „
(34) व्युटिल टिटानेट	वही 2.1/2 „
(35) कैल्शियम कार्बोनेट (निस्सादित तथा सक्रियित)	वही 10 „
(36) केस दृढिकारक मिश्रण	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये—इन में जो भी कम हो ।
(37) क्लोरिनेटिड पैराफिन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
(38) डिक्लोरो बेन्जीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये—जो भी इनमें कम हो ।
(39) डिआसिल फथेलेट (डीएपी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो ।

1

2

3

- (40) डाइडेसिल फथेलेट
(डीआई डी पी) लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत या 1250
रुपये जो भी इन में कम
हो ।
- (41) डाइनोनिल फथेलेट
(डी एन पी) वही
- (42) क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन लाइसेंस के अंकित मूल्य का
कपाउन्ड जो रिफ्रिजेंट गैस के 10 प्रतिशत या 5000
रूप में प्रयुक्त होता है जिसमें रुपये इन में जो भी कम
ट्रिक्लोरोमोनोफ्लोरोमेथेन हो ।
(फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजेंट
11), डाइक्लोरोडायलोरोमेथेन
(फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजेंट-
12), डाइक्लोरोमोनोफ्लोरो-
मेथेन) (फ्लोरोकार्बन रेफ्रि-
जेंट-21), मोनोक्लोरो-
डिफ्लोरोमेथेन (फ्लोरोकार्बन
रेफ्रिजेंट-22) तथा उनके
मिश्रण शामिल नहीं हैं ।
- (43) डिफिनायल ब्राक्साइड/ लाइसेंस के अंकित मूल्य का
डिफिनायल ईथर । 10 प्रतिशत ।
- (44) ई०डी०टी०ए० और इसके वही 5 प्रतिशत या
सोडियम साइट 2500 रुपये इन में जो
भी कम हो ।
- (45) पैराहाइड्रोक्सी बेन्जोइक लाइसेंस के अंकित मूल्य का
एसिड (मिथिल एथिल तथा 2. 1/2 प्रतिशत ।
प्रोपिल) के एस्टर्स
- (46) डिएथिलीन तथा पोलि- लाइसेंस के अंकित मूल्य का
एथिलीन ग्लाइकोल 2. 1/2 प्रतिशत ।
- (47) एथिलीन डिक्लोराइड वही 10 ,

1

2

3

(48) एथिलीन यूरिया लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2½ प्रतिशत ।

(49) पयूमेरिक एसिड वही 5 „

(50) करप्पूरल वही 10 „

(51) गोल्ड साइनाइड, पोटा- लाइसेंस के अंकित मूल्य का
सियम।सोडियम गोल्ड साइना- 10 प्रतिशत या 5000
इड, कापर साइनाइड, जिन्क रुपये इन में जो भी कम हो ।
साइनाइड तथा मिल्डर
साइनाइड ।

(52) ग्लाइमिरीन लाइसेंस के अंकित मूल्य का
15 प्रतिशत ।

(53) हेक्साक्लोराएथेन वही 5 „

(54) हाइड्रोजन पर-आक्साइड वही 5 „

(55) आइसोप्रोपिल एसिटेट लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत या 2500
रुपये, इन में जो भी कम
हो ।

(56) हाइड्राक्सायलेमान लाइसेंस के अंकित मूल्य का
हाइड्रोक्लोराइड (हाइड्राक्- 10 प्रतिशत ।
सायमोनियम क्लोराइड)

(57) हाइड्राक्सायलेमीन सल्फेट वही 10 „
(हाइड्राक्सायमोनियम सल्फेट)

(58) आइसो प्रोपिल नाइट्रेट वही 2. 1/2 „

(59) निम्नलिखित प्रयोगशाला
तथा अभिकर्मक रसायन :—

(1) मेथिल आइओडाइड
शुद्धि कोटि ।

(2) पोटासियम एमिल
एक्सेन्थेट

(3) पोटासियम एथिल एक्-
सेन्थेट ।

लाइसेंस के अंकित मूल्य
का 10 प्रतिशत या
5000 रुपये, इन में
जो भी कम हो ।

1

2

3

- | | | |
|--|---|---|
| <p>(4) पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट एनेलर क्वालिटी</p> <p>(5) सोडियम बाइसल्फाइट शुद्ध और एनेलर क्वालिटी का ।</p> <p>(6) सोडियम एथिल एक्सेन्थेट ।</p> <p>(7) सोडियम आइसो प्रोपिल एक्सेन्थेट</p> <p>(8) सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, शुद्ध तथा एनेलर क्वालिटी ।</p> | } | <p>लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इन में जो भी कम हो ।</p> |
| <p>(60) हल्का मेगनीशियम कार्बोने और मेगनीशियम इन्सुलेटिंग सामग्री ।</p> | | <p>लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो । (परन्तु, कम से कम 97 प्रतिशत मेगनेशियम आक्साइड के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक दी जाएगी ।</p> |
| <p>(61) मेटेलिक एसिटेट (सोडियम और पोटेशियम एसिटेट</p> | | <p>लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।</p> |
| <p>को छोड़कर जो आयात के लिए प्रतिबन्धित है) ।</p> | | |
| <p>(62) मेटा सब्स्टीट्यूटिड ग्रेफाइट फिनल (कार्डेनल) ।</p> | | <p>लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इन में जो भी कम हो ।</p> |
| <p>(63) मेटोल ।</p> | | <p>लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, इन में जो भी कम हो ।</p> |

1

2

3

- (64) मोनो क्लोरा एसेटिक लाइसेंस के अंकित मूल्य
एसिड और इसके सोडियम का 2. 1/2 प्रतिशत या
साल्ट । 1250 रुपये, इन में जो
भी कम हो ।
- (65) मोनो क्लोरा बेन्जीन । लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत या 1250
रुपये इन में जो भी
कम हो ।
- (66) मस्क केटान । लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत या 1250
रुपये इन में जो भी कम
हो ।
- (67) नेफथलीन । लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत ।
- (68) निकल फॉस्फेट । लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत या 2500
रुपये इन में जो भी कम
हो ।
- (69) नाइट्रोबेन्सीन लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत ।
- (70) आर्गोनिक एसिटेट्स वही 2. 1/2
अन्यत्र वर्गीकृत नहीं
- (71) आर्थो डिक्लोरा बेन्जीन लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2. 1/2 प्रतिशत या
1,250 रुपये—इनमें जो
भी कम हो ।
- (72) आर्थो आक्सीडिफि, नायल लाइसेंस के अंकित मूल्य का
तथा पारा आक्सीडिफि- 10 प्रतिशत ।
नायल ।

1	2	3	4
(73) आर्थो टोल्युईन सल्फो- नेमाइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।		
(74) पेलेडिग्रम क्लोराइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, जो भी कम हो ।		
(75) पारा एमिनोफिनोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।		
(76) पैरा हाइड्रोक्सी बैन्जोइक एसिड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत ।		
(77) फिनेटिडाइन और पैरा फिनेटिडाइन ।	वही 5		
(78) फेनोक्सी स्टेरिक एसिड और इसके नमक ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।		
(79) फिनायल एसेटिक एसिड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, इन में जो भी कम हो ।		
(80) फिनायल एसेटिमाइड ।	वही		
(81) फास्फोरिक एसिड ।	वही		
(82) फास्फोरस पेन्टोक्साइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।		
(83) परिशिष्ट 28 की सूची -2 के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न किन्तु उनकी छोड़कर जिनका आयात करना निषेध है, फूथेलेट प्लास्टिसाइजर्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत :		

1

2

3

- (84) पिकोलिन, बीटा तथा लाइसेंस के अंकित मूल्य का
गामा । 10 प्रतिशत ।
- (85) पोटेशियम बाइकार्बो- लाइसेंस के अंकित मूल्य का
नेट । 10 प्रतिशत या 5000
रुपये, जो भी कम हो ।
- (86) पोटेशियम कार्बोनेट लाइसेंस के अंकित मूल्य का
2.1/2 प्रतिशत या
1250 रुपये, जो भी
कम हो ।
- (87) पोटेशियम सिलिकेट । लाइसेंस के अंकित मूल्य का
10 प्रतिशत या 5000
रुपये जो भी कम हो ।
- (88) रिसारसिनाल । लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत या 2500
रुपये—इन में जो भी कम
हो ।
- (89) रबर रसायन जैसे एक्स- लाइसेंस के अंकित मूल्य का
लरेटर्स, एन्टिग्राफिसैन्ट्स, 10 प्रतिशत या 5000
रिटारडर्स पेपटाइजर्स, उद्धारक रुपये जो भी कम हो ।
एजेन्ट्स प्रौर फूक एजेन्ट्स ।
- (90) सोडियम अजाइड लाइसेंस के अंकित मूल्य का
10 प्रतिशत या 5000
रुपये जो भी कम हों ।
- (91) आई०पी०ग्रेड के सोडि- लाइसेंस के अंकित मूल्य का
यम बाइकार्बोनेट । 5 प्रतिशत या 2,500
रुपये, इन में जो भी
कम हो ।
- (92) सोडियम क्लोरेट । लाइसेंस के अंकित मूल्य का
5 प्रतिशत या 2500
रुपये जो भी कम हो ।

1	2	3
(93) सोडियम भानोकलोरो एसिटेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो ।	
(94) सॉबिटोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
(95) स्ट्रॉन्टियम कार्बोनेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।	
(96) स्टाइरी ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2. 1/2 प्रतिशत ।	
(97) सक्सिनिक एसिड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।	
(98) सक्सिनेट्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।	
(99) सबमर्ज्ड एरो बैलिडिंग फ्लक्सिज ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।	
(100) टरेपैन्थाल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।	
(101) टर्ट ब्यूटिल केटेकोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
(102) टेट्रासोडियम पाइरो-फास्फेट और सोडियम के अन्य पालिफास्फेट्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।	
(103) थेनाइट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।	

1	2	3
(104)	वियोनिम कसोराइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
(105)	ट्राईकेसिल फास्फेट ।	वही
(106)	ट्राईथेनोलेमाइन टीटानेट तथा आइसोप्रोपिल टिटानेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
(107)	ट्राई-मोडियम फास्फेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
(108)	एनसाबलेनोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

34-37 (बी)

(परिशिष्ट-29)

पेट के लिए कच्चे माद्य :—

- (ए) एन्टिमोनी आक्साइड (पेन्टर्ब ग्रेड) । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।]
- (बी) ह्वाइट स्प्रिट/मिनरल टरपेंटाइन । [बाद में घोषणा की जाएगी ।
- (सी) अन्तिम प्रयोग के लिए एक्सीलीन (पथेलिक एनहाइड्राइड से मिश्र) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
- (डी) सिन्थेटिक येलो आयरन आक्साइड (पिगमेंट यैलो 42) । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1

2

3

परिशिष्ट-24

परिशिष्ट-29

निम्नलिखित पिगमेंट डाइस्टप्स
तथा कास्मेटिक कलर्स :—

पिगमेंट डाइस्टप्स	कलर सूचक संख्या	
1. एस०एफ० रेड पी 2 आर	12316	इन मवों के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत की सीमा तक या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो, तक दी जाएगी।
2. परसियन आरेंज	15510	
3. लेक स्कार्लेट ।	16105	
4. पीकाक ब्लू ।	42090	
5. येलो ग्रीन टोनर ।	49010	
6. लेक मेगेन्टा ।	सी०आई० सं० नहीं	
7. क्रिम्सन टोनर ।	12825	
8. परमानेंट आरेंज 2 आर ।	12075	
9. एस०एफ० रेड एफ 4 आर एच।	12420	इन मदों के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत की सीमा तक या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो, तक दी जाएगी।
10. रबड़ ब्लू जी एन एस ।	सी०आई० संख्या नहीं ।	
कास्मेटिक कलर्स		
1. डीप रेड	12350	इन मदों के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत की सीमा तक या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो, तक दी जाएगी।
2. कास्मेटिक ग्रीन आक्साइड ।	77288	

1	2	3
परिशिष्ट 45	पेन्डुलम कलाक के निर्माण के लिए	लाइसेंस के अंकित मूल्य का
भाग ए	बलाक आयल ।	5 प्रतिशत या 2500 रु०
		इनमें से जो कम हो ।
परिशिष्ट 46	स्टोरेज बैट्रिज के निर्माण के लिए	
	निम्नलिखित कच्चे माल/संघ-	
	टक :—	
	1. कच्चा सीसा 2. ऐटिमोनि 3. ऐटिमोनि अस्यक 4. आर्सेनिकल ऐटिमोनियल लेड अलाय 5. विशेष ग्रेड वाले पी०बी० सी० रेजिन्स (केवल पी बीसी विलगक के निर्माण के लिए) 6. ग्लाम बूल मैट्स (रबड़ विलगक के निर्माण के लिए) 7. बैटरी विलगक (पी. बी.सी. रबड़ तथा लकड़ी वाले को छोड़कर) 8. माइक्रो मल्फर 9. शुद्ध टीन 10. डला हुआ ताम्बा/ताम्बा छड़ 11. लाल सीसा (केवल वायु-यान की बैट्रियों के निर्माण के लिए)	प्रत्येक मद के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम होगा उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी ।
परिशिष्ट 47 :	सूखी बैटरी सेल्स के निर्माण के लिए	
	निम्नलिखित कच्चे माल/संघटक :—	
	1. विशेष पीवीसी स्ट्रिप्स और स्लीव्स 2. डले हुए रूप में जस्ता, केलाट्स और शीट्स 3. पारा	प्रत्येक मद के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम होगा, उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी ।

1	2	3
	4. कैडमियम मेटल 5. विशेष कार्य के लिए बटरी कान्टेक्ट और टर्मिनल पुज । 6. ठला हुआ सीसी ।	
परिशिष्ट 48-ए	पेय जल स्रोतक निर्माण के लिए:—	
	टोन	लाइसेंस के अधिकृत मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(बी) 0° सी से कम वाले स्रोतक के निर्माण के लिए	
	1/3 अवशक्ति से 3/4 अवश- वही	30 प्रतिशत
	शक्ति के ऊपर वाले सम्पीडक :—	
	(सी) कमरे के वातानुकूल के निर्माण के लिए	
	(1) 8 एम्पस से अधिक वाले वही	2 1/2 प्रतिशत
	थर्मोस्टेट्स	
	(1) 1 1/2 टन वातानुकूल के निर्माण के लिए)	
	(2) पिनाग्रो स्विच वही	5 प्रतिशत
	(3) इलेक्ट्रो लिटिक स्टार्ट कैपेसिटर्स वही	10 प्रतिशत
	(डी) 1/8 अवशक्ति से 7/1 2 अवशक्ति वाले सीलड सम्पीड डकों के निर्माण के लिए :—	
	(1) रिले के निर्माण के लिए 47 जीए वाली ताम्बे की तार, (2) फास्फर ब्रॉन्ज शीट्स/ स्ट्रिप्स (3) बेरिलियम ताम्बा तार/ स्ट्रिप्स (4) बाई-मैट्स स्ट्रिप्स	लाइसेंस के अधिकृत मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1

2

3

(ई) 1/2 अवधारित वाले
तथा इससे अधिक वाले

कुले किस्म के सम्पीडक के निर्माण लाइसेंस के अंकित मूल्य का
के लिए :— 5 प्रतिशत ।

बेयरिंग के लिए विशेष प्रकार
के बेयरिंग धातु ।

परिशिष्ट 49 गृह सेवा मंदिर के निर्माण के
लिए :

कच्चे माल

(1) गस्ता	}	लाइसेंस के अंकित मूल्य का
(2) टीन		10 प्रतिशत या 5000
(3) मोमी		रु० इनमें जो भी कम हो ।

परिशिष्ट 51

(1) याइडिंग द्विचक्र, हॉनिंग स्टोन/स्टिक, मैकेनाइट प्लेट्स (गैप तथा रिग प्लेट्स) ।	}	रोलर बेयरिंग और बाल के निर्माण के लिए ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो ।
(2) मघटक जैसे प्रसिद्ध स्टील वाल्स, तैयार रोलर्स, स्टेनर्स फेल्ड तथा रबड़ रोलर्स, फोर्ड तथा रोलड रिग्स ।		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	

परिशिष्ट 57

रबड़ रासायन जैसे एक्सिजेंट्स एन्टाक्सीडेंट, स्टारबर्ड्स, पेपटाइजर्स तथा रिक्लेमिंग एजेंट्स (हेक्सामाइन किस्म से भिन्न) ।	}	रबड़ के सामान के निर्माण के लिए ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
--	---	--------------------------------------	--

1	2	3
परिशिष्ट 61	(1) इलेक्ट्रोलिटिक ताम्बा, (2) कोल्ड रोल्ड डाइन्मो ग्रेड सिलिकान स्टील शीट्स (सी आर एन जी ओ)	इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत वही
परिशिष्ट 62	(1) इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड ताम्बा (2) स्टैम्पिंग की कैप्टिव क्षमता रखने वाले एककों के लिए सी०आर०जी०ओ० इलेक्ट्रिकल स्टील ।	ट्रान्सफार्मर्स के निर्माण के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 40 प्रतिशत वही

टिप्पणी.—अपने निर्यात व्यापार के आधार पर संभरण के अधिमानित श्रोतों के लिए पात्र इकाइयों के मामले में 5000 रु० की अधिकतम मूल्य सीमा या इससे कम सीमा जैसा कि प्रत्येक मद के सामने निर्दिष्ट है, दूनी होंगी ।

ऐसी मदों के विषय में जिनके लिए अधिकतम मूल्य सीमा 5000 रु० से अधिक है, परन्तु 10000 रु० से अधिक नहीं है, तो ऐसी निर्यातक इकाइयों के लिए इस सीमा को 10,000 रु० तक बढ़ा दिया जाएगा ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।